(229) (105)

1.

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैम्प रीवा (म.प्र.)

निग०/सीधी/2017/4176

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

10-

संतोष मिश्रा तनय स्व. श्री शिवशंकर मिश्र उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम गेरूआ तहसील सिहावल जिला सीधी (म.प्र.)

...........आवेदक

बनाम

01– गुलाब मिश्रा तनय स्व. भाईलाल मिश्र, निवासी ग्राम गेरूआ तहसील सिहावल, जिला सीधी (म.प्र.)

02– योगेश प्रसाद तनय गुलाब मिश्रा निवासी ग्राम गेरूआ तहसील सिहावल, जिला सीधी (म.प्र.)

03– शासन (म.प्र.)

................अनावेदकगण

द्वितीय निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय श्रीमान् ~~अनुविभागीय~~ अपर कलेक्टर सीधी आदेश दिनांक ~~30.06.2017~~ 29-9-17

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:–

01– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02– यह कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन नहीं किया अन्यथा अनावेदक क्र. 2 बिना किसी अधिकार पत्र के गैर कानूनी सीमांकन आवेदन पत्र के आधार पर किये गये सीमांकन को अवैधानिक होने के कारण, निरस्त न करनें में कानूनी भूल की है।

03– यह कि अन्तर्गत धारा 129 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के प्रावधानों के तहत् कथित सीमांकित भूमियों का नक्शा प्लाट एवं सरहदी कास्तकारों को बिना पक्षकार बनाए जो सीमांकन कार्यवाही हल्का पटवारी द्वारा की गई वह अधिकारिता

(105)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग०/सीधी/17/4170 जिला– सीधी

संतोष मिश्रा विरूद्ध गुलाब मिश्रा

(1)	(2)	(3)
	1. आवेदक की ओर से श्री गिरीश अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 05/निग0/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 29.09.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	